न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 02/2014

अनवान :-

1. सदीक पुत्र हैदर खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड नं. 08 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. लीलूखां पुत्र हैदर खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 8 तहसील भादरा।
2. बाबु खां पुत्र हैदर खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 8 तहसील भादरा।
3. गुलाब पुत्री हैदर खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 8 तहसील भादरा।
4. अलाबाई पुत्री हैदर खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 8 तहसील भादरा।
5. सीमा पुत्री हैदर खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 8 तहसील भादरा।
6. ग्राम पंचायत रामगढिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रामगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडन्टस

अपील विरूद्व नामान्तरण सं0 627 दिनांक 20.03.2012 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रामगढिया प.स. भादरा जिसकी रूह से अपीलान्ट को बिना किसी प्रकार की सूचना सुनवाई का अवसर दिये गलत व गैरकानूनी तौर से रेस्पोडेन्ट सं. 6 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम नामान्तरण स्वीकृत फरमाया गया बमुराद मनसुखिया आदेश व किये गये जाने अपील स्वीकार अपील जेर दफा 75(i)(D) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : वकील श्री रामकुमार कस्वा – **अपीलान्टस**

वकील श्री योगेश शर्मा– **रेस्पोडन्टस सं. 1,2**

निर्णय **दिनांक :** 30-08-2018

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि जेर अपील अदालत मातहत खिलाफ कानून, न्याय, नियम व खिलाफ प्राकृतिक इन्साफ के पारित किये जाने के कारण काबिल इखराजी के है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न अपील प्रस्तुत है। आदेश जेर अपील अदालत मातहत लिगल, प्रोपर व करक्ट नही होने के कारण निरस्तीय है। आदेश जेर अपील अदालत मातहत विद्आउट ज्यूरिडिक्शन व आरबिट्री तौर पर पारित किये जाने के कारण काननून निरस्तीय है।

आदेश जेर अपील अदालत मातहत लैण्ड रेवेन्यू रिकार्डेड रूल्स 1957 के मैनेडेटरी प्रोविजन के विपरीत पारित किये जाने के कारण कानूनन निरस्तनीय है। आदेश जेर अपील मातहत T.P.Act के SEC. की धारा 52 के लिसपेन्डिस Lispendence के सिद्धान्त

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

के कानून के विपरीत पारित किये जाने के कारण गलत व गैरकानूनी होने के कारण निरस्तनीय है।

भूमि जेरबहस अपील चक नं. 10 बारानी पटवार हल्का रामगढिया के मु.न. 108 के किला नं. 17 ता 24 किता 8 तादादी 2.0240 हैक्टर व मु.न. 118 के किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक की 0.253 हैक्टर कुल किता 4 तादादी 1.012 हैक्टर कुल खसरा 12 क्षेत्रफल 3. 360 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि की बाबत एक वाद अनुवानी सदीक बनाम लीलूखां आदि न्यायालय एसडीओ साहब भादरा में दिनांक 23.07.2008 को अपीलान्ट द्वारा दायर किया गया था जिसमें दिनांक 16.10.2008 को अस्थाई निषेधाज्ञा मुतनाजा भूमि को रहन, बैय मुन्तकिल नही किये जाने बाबत जारी की गई थी जो कि वाद आज दिनांक तक न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक में जेरकार है व जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। इस प्रकार उक्त अनुवानी वाद के लम्बित होते हुए व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने आपस में मिलकर रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 के हिस्से का रिलीज डीड दिनांक 28.05.2010 को अपने नाम से उप पंजीयक भादरा के कार्यालय में फर्जकारी करके निष्पादित करवा लिया गया जो कि दस्तावेज रिलीज डीड एब इनिशियों नल एण्ड वॉयड रिलीज डीड के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने रेस्पोडेन्ट सं. 6 से मिलकर मुतनाजा भूमि का नामान्तरण बिना ही अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा तौर पर अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया जो कि नामान्तरण व आदेश अधिनस्थ न्यायालय एब इनिशियों नल एण्ड वॉयड होने के कारण कानूनन नोनेस्ट है व निरस्तनीय है।

दिगर वजुहात पर अपील काबिल मन्जुरी के है जो अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर वरवक्त बहस अर्ज किए जावेगे। अपील पूर्ण न्याय शुल्क पर, न्यायालय के क्षेत्राधिकार में व ईल्म से अन्दर मियाद प्रस्तुत है व मियाद कन्डोन करने के लिए दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है सो अपील अन्दर मियाद फरमाई जावें व वैसे भी आदेश जेर अपील अदालत मातहत वॉयड आर्डर है व ऐसे वॉयड ऑर्डर पर कानूनन मियाद की कोई बार लागू नही होती है।

अतः अपील अपीलान्ट सेवामें पेशकर अर्ज है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फ़रमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे व अन्य कोई अनुतोष नियम व कानून से मिलता हो तो अपीलान्ट को दिलाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तथा रेस्पोडेन्ट स. 3 ता 5 बाद तामील उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांग आर.आर.डी. 1961 रीध करन बनाम मालीराम पेज सख्या 162 से 164, आर.आर.टी. 2002(1) शंकर बनाम मोगजी कुमार पेज संख्या 269 से 272, सिविल कोर्ट केस 649 सर्वोच्च न्यायालय हर नारायण बनाम मामचन्द आदि पेज संख्या 649 से 654, सिविल कोर्ट केस 790 सर्वोच्च न्यायालय हर जगनसिह बनाम धनवती आदि पेज संख्या 790 से 797, राजस्व मण्डल अजमेर 2008(2) आर.आर.टी. 850 बंशीधर बनाम हनुमान आदि पेज संख्या 850 से 854 प्रस्तुत की तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से फोटो प्रति एफ.आर, विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2007, एवं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

16.03.2010, राजीनामा प्रमाणित प्रति 06.05.2014, जवाबदावा सदीक/लीलू दावा, फर्द अहकाम सदीक/लीलू, फोटो प्रति दावा, एसीजेएम न्यायालय भादरा का एफ.आर. व एफ. आई.आर आदि पेश की तथा अपीलान्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांग आरआरडी 1961 रीध करन बनाम मालीराम, आरआरटी 2002(1) शंकर बनाम मोगजी कुमार, सिविल कोर्ट केस 649 उच्च न्यायालय 2010(4), उच्च न्यायालय 2012(1) सविलि कोर्ट केस सं. 790, आरआरटी 850 2008(2) राजस्व मण्डल अजमेर तथा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट को खारिज करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने फोटो प्रति एफ.आर., विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2007, एवं 16.03.2010, राजीनामा प्रमाणित प्रति दिनांक 06.05.2014, जवाबदावा सदीक बनाम लीलूखां, फर्द अहकाम सदीक बनाम लीलूखां, एसीजेएम न्यायालय भादरा का एफ.आर. व एफ.आई.आर की प्रति प्रस्तुत की।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांग एवं लिखित बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट ने नामान्तकरण 627 दिनांक 20.03.2012 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रामगढिया ने बिना किसी प्रकार की सूचना सुनवाई का अवसर दिये व गैरकानूनी तौर से रेस्पोडेन्ट सं. 6 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम नामान्तरण स्वीकृत फरमाया गया बमुराद मनसुखिया आदेश व किये जाने अपील स्वीकार कर उक्त नामान्तकरण को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी अपीलान्ट ने अपने अपील प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 में कथन किया है कि अनुवानी वाद सदीक बनाम लीलूखां आदि न्यायालय सहायक कल्क्टर फास्ट–ट्रेक भादरा ने दिनांक 16.10.2008 को अस्थाई निषेधाज्ञा मुतनाजा भूमि को रहन बैय मुन्तकिल नही किये जाने बाबत जारी की गई थी परन्तु स्वयं अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत चित्र प्रति फर्द अहकाम सदीक बनाम लीलू खां आदि न.मु. 70/2008 में दिनांक 15.10.2008 को जारी स्थगन आदेश में रहन बैय व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का जारी किया गया था, इसमें अन्य किसी दीगर तरीके से मुन्तकिल पर कोई स्थगन आदेश जारी नही किया गया था। इसलिए यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में कोई दस्तावेज दस्तबरदारी निष्पादित करवाया है तो उस पर स्थगन आदेश का कोई प्रभाव नही है। अपीलान्ट ने T.P.Act के SEC. की धारा 52 के लिसपेन्डिस Lispendence के सिद्धान्त के आधार पर निरस्त करने का कथन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2012(1) सिविल कोर्ट केसे 790 उच्च न्यायालय की जो नजीर प्रस्तुत की वह हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नही होती क्योकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट ने नामान्तरकरण 627 ग्राम पंचायत रामगढिया तहसील भादरा दिनांक 20.03.2012 रिलीज डीड दिनांक 28.05.2010 के आधार पर अपीलान्ट के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के नाम दर्ज कर स्वीकृत फरमाया गया को निरस्त कर पुनः जांच कर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु पेश की है। हमारे द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व नामान्तरकरण सं0 627 का ससम्मान अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण सं0 627 के कॉलम सं0 14 में गुलाब, अलाबाई व सीमा द्वारा जरिऐ दस्तबरदारी अपना हक त्याग करना अंकित है व उक्त दस्तबरदारी के अनुसार ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। चूंकि : दस्तबरदारी एक रजिस्टर्ड वैध दस्तावेज है जिसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय के पास है अपीलान्ट द्वारा अपील में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

कथित उक्त दस्तबरदारी को निरस्त करवाऐ बिना नामान्तरकरण सं0 627 को निरस्त नहीं किया जा सकता है, तथा अपीलान्ट की ओर से न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक भादरा में अनुवानी वाद सदीक बनाम लीलूखां आदि न.मु.85/2014 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आरटीए जैरकार है जिसमें साक्ष्य में आधार पर हक हिस्सा का निर्धारण किया जाना है इस कारण अपील को कोई आधार नही है। अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत नजीरें हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट की अपील एवं प्रार्थना पत्र मे अंकित कथन विरोधाभासी है। प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30-08-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़